

## आदेश

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत संस्था स्तर पर अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में Internal Complaint Committee गठित की जाती है। समिति को निर्देशित किया जाता है कि वे Section 4 of sexual as per section 4 of sexual harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Reddresal) Act 2013 अन्तर्गत पूर्णतया फंक्शनल एवं एक्टिव रहे। कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर प्रभावी कार्यवाही करके अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

क्र०सं०	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम/पदनाम	
1	श्री संजीव कुमार यादव, प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स	अध्यक्ष
2	श्री प्रद्युम्न कुमार, प्रवक्ता कम्प्यूटर	सदस्य
3	श्रीमती शायान तनवीर, प्रवक्ता रसायन	सदस्य

प्रधानाचार्य

कार्यालय प्रधानाचार्य एम०एम०आई०टी० सन्त कबीर नगर।

पृ०सं० 66 (3) / कैम्प विविध/2018-19 दिनांक- 18-8-18

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. उपरोक्त अधिकारियों को अंकन हेतु ।
2. समस्त कक्षाओं में चक्रीकृत ।
3. संस्थागत सूचना पट्ट ।

~~प्रधानाचार्य~~  
प्रधानाचार्य  
एम० एम० आई० टी०  
सन्त कबीर नगर